

कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com,

Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक :- 01 / योबो-15/2016- 88

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा उत्तरी वन
प्रमंडल, चतरा/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/हजारीबाग पश्चिमी वन
प्रमंडल, हजारीबाग/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल,
गिरिडीह/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा/गढ़वा दक्षिणी वन
प्रमंडल, गढ़वा/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल, देवघर/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग/सामाजिक वानिकी
प्रमंडल, देवघर/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा।

दिनांक : 19.01.2017

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वयित की जाने वाली अधिसूचित वनभूमि पर
वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)
के अंतर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण एवं शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का अग्रिम
कार्य (प्रथम वर्ष) के लिए कुल 354.746 लाख (तीन करोड़ चौवन लाख
चौहत्तर हजार छ: सौ रुपये) मात्र का ऑन-लाईन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04/योबो-20/2016-54/स्वी0 व0 प0
दिनांक-17.01.2017 एवं आ0आ0संख्या-04/योबजट-20/2016-91 अ0व0प0
दिनांक-18.01.2017।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वयित की जानेवाली अधिसूचित वनभूमि पर
वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण"योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत
भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण एवं शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) के लिए
कुल 354.746 लाख (तीन करोड़ चौवन लाख चौहत्तर हजार छ: सौ रुपये) मात्र राशि का
ऑन-लाईन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या
04/योबो-20/2016-54/स्वी0 व0 प0 दिनांक-17.01.2017 एवं आ0आ0संख्या-04/योबजट-
20/2016-91 अ0व0प0 दिनांक-18.01.2017 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :—

(राशि लाख में)				
क्र0 सं0	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष 58—अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू—संरक्षण	मजदूरी	19P240601789580103	240.191
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601789580323	114.555
कुल आवंटित राशि				354.746

अर्थात् कुल 354.746 लाख (तीन करोड़ चौवन लाख चौहत्तर हजार छ: सौ रुपये) मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन—लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्तमान आवंटित कुल 354.746 लाख (तीन करोड़ चौवन लाख चौहत्तर हजार छ: सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016—17 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू—संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406— वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष 01—वानिकी लघु शीर्ष 789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष 58—अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू—संरक्षण योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध अनुलग्नक—1 एवं 2 के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

5. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया

जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

8. उप-आवंटित राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जाएगी।

9. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजूदरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, कि अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

15. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं-2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा ।
17. आवंटित राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा ।
18. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी ।
19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी ।
20. तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों की मात्रा एवं गुणवत्ता के वनपाल, वन क्षेत्र पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के स्तर से वनरोपण योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उसके अनुश्रवण के संबंध में जारी संकल्प संख्या-2539 दिनांक 20.04.2005 एवं संकल्प संख्या-819 दिनांक 10.03.2011 के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे ।
21. कटबैक, कॉपिसिंग कार्यों में प्राप्त जलावन को स्थानीय ग्रामीणों के बीच पारदर्शी तरीके से वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप वितरित करेंगे ।
22. प्रवेश बिन्दु कार्यों का प्राक्कलन अलग से समर्पित करेंगे, जिसपर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी ।
23. संबंधित योजना हेतु आवंटन पत्र के शर्तों एवं सरकार के स्तर से स्वीकृत योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन कर कार्य कराये जाने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे ।
24. कार्य की गुणवत्ता एवं वनरोपण की सफलता वन प्रमंडल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी । अतः यह अवश्य सुनिश्चित की जाय कि उपलब्ध राशि का सदुपयोग हो ।
25. योजना का कार्यान्वयन स्थल विशेष प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर इस कार्यालय को एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाएगा । ट्रेंच धेरान का कार्य शीघ्र सम्पन्न करने हेतु मशीन द्वारा किया जाय । उप-आवंटित राशि में प्रवेश बिन्दु कार्य की 15 प्रतिशत राशि सन्निहित है, जिसके अनुसार प्राक्कलन तैयार किया जाएगा ।
26. अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपने स्तर से सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षी को उपलब्ध करायेंगे ।

27. प्रवेश विन्दु कार्य के अन्तर्गत ग्राम वन प्रबंधन में राशि की उपलब्धता के आधार पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव के अनुसार सामूहिक व्यवहार हेतु ग्राम वन प्रबंधन भवन, सौर्य ऊर्जा से गाँव का प्रकाशीकरण, ग्रामीण पेयजल सुविधा, सार्वजनिक सिंचाई सुविधा आदि प्राथमिकता से क्रियान्वयन किया जाएगा।

28. वनरोपण स्थल पर साईनबोर्ड लगायी जायेगी जिसपर आवश्यक सूचना के साथ मजदूरी का दर भी अंकित की जाय एवं न्यूनतम मजदूरी दर पर भुगतान सुनिश्चित करायी जाय।

29. इस योजना के अन्तर्गत किये गये, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-1 एवं 2 पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-3 पर संलग्न हैं।

अनुलग्नक :— यथोक्त।

विश्वासमाजन,
Chimbankam
19/1/2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—01 / यो0ब0—15 / 2016— 88

, राँची, दिनांक :— 19.01.2017

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/ संथाल परगना, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/प्रादेशिक अंचल, चतरा/ प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/ प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/ प्रादेशिक अंचल, देवघर/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
Chimbankam
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—01 / यो0ब0—15 / 2016— 88

, राँची, दिनांक :— 19.01.2017


प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, चतरा/ कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/ कोषागार पदाधिकारी, बोकारो/ कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/ कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/ कोषागार पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
Chimbankam
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत भू-सरक्षण एवं वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	स्थल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	वित्तीय वर्ष 2016-17 (अग्रिम कार्य)		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi	viii
1	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	बलीडीह	30	14.210	9.258	23.468
2	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	कुरपनिया	45	28.020	10.666	38.686
3	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	कियाजोरी	15	8.128	1.300	9.428
		बाराटांड छांआ, जियाखाड़ा	30	18.870	2.710	21.580
4	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	बधवार	30	14.210	9.258	23.468
5	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	केदारुत	45	28.020	10.666	38.686
योग :-			195	111.458	43.858	155.316


अपर प्रधान मुख्यमंत्री सरकार, विकास

झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण” योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	स्थल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	वित्तीय वर्ष 2016-17 (अग्रिम कार्य)		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi	viii
1	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	लम्बुआ	50.00	23.400	6.000	29.400
2	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	पचमो	30.00	11.030	7.024	18.054
		बेदौली	30.00	11.030	7.024	18.054
3	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	नगरकेशवारी/परसिया	30.00	15.953	7.850	23.803
4	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	काहुदाग	30.00	11.220	7.850	19.070
5	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	बिजहरा	30.00	11.220	7.550	18.770
6	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	बेहराबाद	30.00	11.220	6.850	18.070
7	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	सननी	30.00	11.220	6.850	18.070
8	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	पहड़िया	30.00	11.220	6.850	18.070
9	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	बलीगढ़	30.00	11.220	6.850	18.070
योग :-			320.00	128.733	70.697	199.430

*Chittaranjan
19/11/2017*
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेशझारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं

पत्र संख्या - 01/yb-15/2016/88

दिनांक -

19-Jan-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नंबर	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601789580103	85687	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	2,340,000.00 रुपये तेइस लाख चालीस हजार
2	P 19 240601789580103	85688	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	2,206,000.00 रुपये बाइस लाख छः हजार
3	P 19 240601789580103	85689	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	1,595,300.00 रुपये पंद्रह लाख पिंचानवे हजार तीन सौ

योगः

क्रमिक योगः

रुपये इक्सठ लाख इकतालीस हजार तीन सौ

6,141,300.00

(SHRI Y.K. SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF,DEV.JHARKHAND

Page 1 of 7

122,252,250.36

R.J.
RANCHI

Run Date: 19/1/2017

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि	
4	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	85691	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	रुपये ग्यारह लाख बाइस हजार 	1,122,000.00
5	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	85692	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	रुपये अठाइस लाख दो हजार 	2,802,000.00
6	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	85693	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	रुपये ग्यारह लाख बाइस हजार 	1,122,000.00
7	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	85694	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	रुपये पच्चीस लाख तीरयालीस हजार 	2,543,000.00
योग:					7,589,000.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड सैतीस लाख तीस हजार तीन सौ				13,730,300.00
			(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)		
			ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND		
Page 2 of 7			13/1/2017	Run Date:	19/1/2017

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	85695	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	1,122,000.00 रुपये ग्यारह लाख बाइस हजार
9	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	85697	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	1,421,000.00 रुपये चौदह लाख इक्कीस हजार
10	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	85698	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	2,699,800.00 रुपये छब्बीस लाख निन्नानवे हजार आठ सौ
11	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	85699	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	2,802,000.00 रुपये अठाइस लाख दो हजार
योग:				8,044,800.00
क्रमिक योग:				21,775,100.00
<p style="text-align: center;">रुपये दो करोड़ स त्र ह लाख पचहत्तर हजार एक सौ</p> <p style="text-align: center;">(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS) 18/11/2017</p> <p style="text-align: center;">ADDI.PCCF,DEV.JHARKHAND</p> <p style="text-align: center;">102,152,350.96 RANCHI</p> <p style="text-align: center;">13/1/2017</p>				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भने 03 - मजदूरी	85700	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	रुपये ग्यारह लाख बाइस हजार 
13	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भने 03 - मजदूरी	85701	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	रुपये ग्यारह लाख बाइस हजार 
14	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85705	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	रुपये छ. लाख 
15	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85706	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	रुपये चौदह लाख चार हजार से 

योगः

क्रमिक योगः

रुपये दो करोड़ साहट लाख तेहस हजार आठ सौ

4,248,700.00

26,023,800.00

(SHRI.Y.K.SINGH & SAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

Page 4 of 7

13
RANCHI

Run Date: 19/1/2017

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85707	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	785,000.00 रुपये सात लाख पिचयासी हजार
17	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85708	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	785,000.00 रुपये सात लाख पिचयासी हजार
18	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85710	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	1,066,600.00 रुपये दस लाख छाँठ हजार छ: सौ
19	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85711	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	755,000.00 रुपये सात लाख पचपन हजार
योग:				3,391,600.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड चौरानवे लाख पंद्रह हजार चार सौ		 (SHRI Y.K. SINGH CHAUHAN IFS) ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND	29,415,400.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85712	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	1,610,800.00 रुपये सोलह लाख दस हजार आठ सौ
21	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85713	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	685,000.00 रुपये छ: लाख पिच्चासी हजार
22	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85714	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	925,800.00 रुपये नौ लाख पच्चीस हजार आठ सौ
23	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85715	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	401,000.00 रुपये चार लाख एक हजार
योग:				3,622,600.00
क्रमिक योग:	रुपये तीन करोड़ तीस लाख अड्डीस हजार			33,038,000.00
			 (SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)	
			ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND 13/1/2017 RANCHI	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85717	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	1,066,600.00 रुपये दस लाख छाठ छाठ हजार छ: सौ
25	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85718	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	685,000.00 रुपये छ: लाख पिचयासी हजार
26	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	85719	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	685,000.00 रुपये छ: लाख पिचयासी हजार

2,436,600.00

योगः

35,474,600.00

क्रमिक योगः

रुपये तीन करोड़ चौपन लाख चौहत्तर हजार छ: सौ

(SHRI.Y.K.SINGH CHABHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

BANCHI

Run Date: 19/1/2017